91

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

तीन–निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2120 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2017– पारित व्दारा – तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर – प्रकरण क्रमांक 7 अ 70/2016–17

1– श्रीमती हरकुँवर पत्नि स्व. बाबूलाल
2– चरण सिंह 3– बंशलाल
4– फूल सिंह पुत्रगण स्व.बाबूलाल
5– श्रीमती शॉतिवाई पत्नि फूलसिंह
6– सुश्री रूकमणि पुत्री बंशीलाल नावालिक
सरपरस्त पिता बंशहीलाल सभी कुशवाह
निवासीगण देशवारी मोहल्ला ईसागढ़
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रामरती वाई पत्नि प्राणसिंह कुशवाह
निवासीगण देशवारी मोहल्ला ईसागढ़
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 7 अ 70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15–6–17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम ईसागढ़ स्थित उसकी भूमि सर्वे कमांक 874 रकबा 0.094 हैक्टर का दिनांक 8-2-17 को सीमांकन किया गया है जिस पर आवेदकगण द्वारा बेजा कब्जा पाया गया है इसलिये कब्जा हटाया जावे। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 7 अ-70/2016-17 पॅजीबद्व किया तथा आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदकगण ने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अनावेदक के दावे का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया तथा अनावेदक के दावे की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार ईसागढ़ ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 15-6-17 पारित किया तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर अस्वीकृत करते हुये प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 7 अ 70/2016-17 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि ग्राम ईसागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 874 रकबा 0.094 हैक्टर शासकीय अभिलेख में अनावेदक के स्वामित्व की दर्ज है, जिसके सीमांकन आवेदन पर से राजस्व निरीक्षक ईसागढ़ द्वारा दिनांक 8-2-17 को सीमांकन करने का उल्लेख है परन्तु अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के दावे के पद 4 में इस प्रकार उल्लेख किया है -

> **दिनांक 8-2-17 को राजस्व निरीक्षक महोदय व तहसीलदार कार्यालय का कर्मचारी दल आवेदिका की भूमि का सीमांकन करने हेतु गये थे। आवेदिका की भूमि का सीमांकन किया, किन्तु स्थल पर अनावेदिका हरकुँवर वाई के पुत्र फूलसिंह की पत्नि तथा बंशीलाल की पुत्रियों द्वारा सभी कर्मचारियों को वाहर निकलने की धमकी दी गई तथा कहा कि खेत के अन्दर किससे पूछकर घुसे हो व आवेदिका को काटने की धमकी दी। स्थल पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा बनाया गया जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।**

राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार पंचनामे में इस प्रकार अंकन है :-

> **भूमि सर्वे नंबर 874 रकबा 0.094 है. का स्थल पर जरीव डालकर सीमांकन करने आये तथा सीमांकन किया किन्तु स्थल पर अनावेदिका के पुत्र फूल सिंह की पत्नि तथा दूसरे पुत्र बंशीलाल की पुत्रियों द्वारा वाहर निकलने की धमकी दी गई**

तथा कहा कि खेत के अंदर किससे पूछकर घुसे हैं एंव आवेदिका रामरति को काटने की धमकी दी। अनावेदक फूल सिंह भी था जिसने महिलाओं को आगे कर दिया। उक्त भूमि सर्वे नंबर 874 पर अनावेदक हरकुंवर वेवा बाबूलाल, पानसिंह, बंशीलाल, फूलसिंह पुत्र स्व. बाबूलाल जाति काछी सभी निवासीगण ईसागढ़ का कब्जा है। ''

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि संभवतः आवेदकगण व्दारा उक्तांकित भूमि का स्थल पर सीमांकन सही ढंग से नहीं करने दिया एंव मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने से एंव राजस्व अमले को धमकी देने के आधार पर तदाशय का एकपक्षीय पंचनामा एंव कार्यवाही विरचित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, और ऐसी सीमांकन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा संदेहास्पद परिधि में प्रतीत होता है, परन्तु तहसीलदार ईसागढ़ ने इन तथ्यों पर बारीकी से विचार न करते हुये त्रृटिपूर्ण सीमांकन के आधार पर धारा 250 के प्रकरण को आगे साक्ष्य में लगाने की भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 7 अ 70/ 2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15-6-17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार ईसागढ़ की ओर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि पुलिस बल का सहयोग लेकर वाद विचारित भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख जिला अशोकनगर से ई.टी.एस.एम. यंत्र के माध्यम से सीमांकन करायें, तदुपरांत प्रकरण में आगे की कार्यवाही पर विचार करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर